न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.
विविध प्रार्थना पत्र (रिव्यू प्रार्थना पत्र) 04/2023 (GCMS No 2023/32)

1. प्रवीण कुमार पुत्र श्री बुलाकीराम जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका वाली गली नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. हीरालाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति सोनी निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. हंसराज पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. प्राधिकृत अधिकारी एव अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. मनीराम पांडिया पुत्र ओमप्रकाश पांडिया जाति ब्राह्मण निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सुनील कुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री मदन सुरोलया – अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 31.01.2024**

1. यह विविध प्रार्थना पत्र (रिव्यू प्रार्थना पत्र) नगरानी अन्तर्गत धारा 86–(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं आर्डर 47 रूल 1 सी.पी.सी. के अन्तर्गत न्यायालय हाजा (अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर) निर्णय दिनांक 26.10.2023 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. विविध प्रार्थना पत्र (रिव्यू प्रार्थना पत्र) नजरसानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा (अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर) निर्णय दिनांक 26.10.2023 के विरूद्ध प्रार्थीगण की ओर से नजरसानी पेश कर प्रार्थीगण की नजरसानी स्वीकार कर नजरसानी में वर्णित जो निर्देश न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रावतसर जिला हनुमानगढ को अपीलान्ट/प्रार्थी के हद तक दिये गये है वे निर्णय मे से हटाये जाने का निवेदन किया गया है।
3. विविध प्रार्थना पत्र (रिव्यू प्रार्थना पत्र) नजरसानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक श्री बालकिशन शर्मा ने दिनांक 16.01.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा उक्त अनवानी अपील में दिनांक 26.10.2023 को निर्णित की गई थी। उक्त अपील मे अपीलान्ट के द्वारा किला नं. 13 की बाबत अपील पेश की गई थी, लेकिन सहवनवश आदेश पारित करते समय किला नं. 13 की हद तक आदेश पारित करने की बजाय पूरी अन्य भूमियो का भी भू–रूपान्तरण निरस्त कर दिया है जो कि एक टेक्निकल एरर है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 26.10.2023 को दुरूस्त करने का निवेदन किया गया है, तथा प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री मदन सुरोलिया ने (NO Objection) अनापत्ति किया है।

5. अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने दिनांक 16.01.2024 को दोनो ने मिलकर सयुक्त रूप से राजीनामा प्रस्तुत कर अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका रावतसर व तहसीलदार राजस्व रावतसर को नक्शा में सलग्न नक्शानुसार दोनो पक्षो के पट्टो मे तरमीम करने के आदेश प्रदान किये जावे। भूरूपान्तरण आदेश मे दक्षिण मे जो 40 फुट की सड़क दिखाई हुई है, को निरस्त करते हुए दक्षिण में भूखण्ड हंसराज पुत्र हेतराम जाति जाट का किला नं. 13/4 दर्ज करने के आदेश प्रदान करे। एवं उत्तर मे प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पट्टे को कायम रखे जाने का आदेश प्रदान करे। इसी अनुसार अपील का निस्तारण करने के आदेश फरमाने का निवेदन जावे।

6. दिनांक 23.01.2024 को प्रार्थीगण प्रवीण कुमार, हीरालाल एवं अप्राथीगण मनीराम पांडिया, सुनील कुमार स्वय उपस्थित हुवे। तथा अप्रार्थी हंसराज की ओर से उनके पुत्र रामस्वरूप ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि पिता जी अस्वस्थ होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नही हो पाये है, उनकी ओर से में उपस्थित हुआ हुँ। सभी पक्षकारो ने राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो/पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय नक्शा की तथा उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

(रिव्यू प्रार्थना पत्र) नजरसानी न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 26.10.2023 के विरूद्व पेश की गई है, चूँकि उभय पक्ष द्वारा आपसी राजीनामा कर लिया है तथा किसी भी पक्षकार का राजीनामा/ नक्शा सलग्न राजीनामा से इन्कार नही है। राजीनामा/ नक्शा सलग्न राजीनामा पर पक्षकारान एवं उनके अधिवक्तागण श्री बालकिशन शर्मा एवं मदन सुरोलिया के हस्ताक्षर है। उभय पक्ष मुताबिक राजीनामा/नक्शा सलग्न राजीनामा के अनुसार (रिव्यू प्रार्थना पत्र) नजरसानी स्वीकार किये जाने बाबत सहमति प्रकट की है। माफिक राजीनामा, अप्रार्थी हंसराज द्वारा किला नं. 13/4 में करवाया गया भू रूपान्तरण आदेश यथावत रखे जाने हेतु सहमति वक्त की गई है। उभयपक्षकारान के मध्य उक्तानुसार प्रस्तुत राजीनामे के मध्यनजर रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 26.10.2023 को प्रत्याहरित किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर का आदेश दिनांक 03.07.2020 को यथावत रखा जाता है। हस्तगत आदेश किला नं. 13 की हद तक पारित किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर जिला हनुमानगढ माफिक राजीनामा तथा स्थापित विधि व नैसृगिक न्याय के सिद्वान्तो की पालना किए जाने के निर्देश के साथ रिव्यू प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। तदनुसार रिव्यू प्रार्थना पत्र नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रमाणित प्रति मय राजीनामा/नक्शा सलग्न राजीनामा की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। रिव्यू प्रार्थना पत्र बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर